

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-30/11/2025

विषय:- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों को विकसित करने हेतु मशीन-उपकरण क्रय करने एवं Advance Molecular Microbiology and Molecular Genomics Lab स्थापित करने हेतु कुल रु० 3,96,02,956/- (रुपये तीन करोड़ छियानवे लाख दो हजार नौ सौ छप्पन) मात्र के अनुदान की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभागों को विकसित करने हेतु मशीन-उपकरण क्रय करने एवं Advance Molecular Microbiology and Molecular Genomics Lab स्थापित करने हेतु रु० 78,50,00,000/- (रुपये अठहत्तर करोड़ पचास लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-277(1), दिनांक-27.02.2020 द्वारा दी गयी थी। परन्तु इसमें से रु० 3,96,02,956/- मात्र की राशि कार्य हस्तगत होने के प्रत्याशा में पी०एल० खाता से यह राशि दिनांक-31.03.2024 को CFMS Portal से स्वतः व्ययगत हो गया। राशि व्ययगत होने के कारण इस योजनान्तर्गत अन्तिम भुगतान का कार्य नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में यद्यपि वित्त विभाग के पत्रांक-4588/वि०, दिनांक-02.05.2024 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्वतः व्ययगत से संबंधित मामले में आवश्यकतानुसार बजट उपबंध के माध्यम से आवंटन की कार्रवाई की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक आगणन के द्वारा इस संदर्भ में CFMS से स्वतः व्ययगत राशि का बजटीय उपबंध किया जा चुका है।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के पत्रांक-3340, दिनांक-08.07.2025 के द्वारा उक्त राशि उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के आलोक में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों को विकसित करने हेतु मशीन-उपकरण क्रय करने एवं Advance Molecular Microbiology and Molecular Genomics Lab स्थापित करने हेतु कुल रु० 3,96,02,956/- (रुपये तीन करोड़ छियानवे लाख दो हजार नौ सौ छप्पन) मात्र के अनुदान की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-200-अन्य पद्धतियाँ- 0101-इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड-20-2210052000101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के योजना आय-व्ययक में विषय शीर्ष 0101-31-05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि/अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

4- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA003 विपत्र कोड-00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

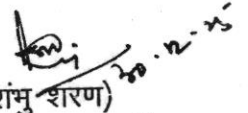
7- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-7/बजट-46-17/2021 के पृष्ठ-143/टि0 पर प्राप्त है।

8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

10- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव
Alpina

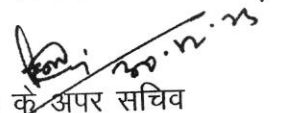
ज्ञापांक:-7/बजट-46-17/2021- 484 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक-30/11/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
Alpina